



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07062022-236370
CG-DL-E-07062022-236370

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143]
No. 143]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 7, 2022/ज्येष्ठ 17, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 2022/JYAISHTHA 17, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2022

सं. 11 / 2015—2020

विषय: प्रक्रिया पुस्तक 2015—2020 के एएनएफ—4च के तहत 'आवेदकों हेतु दिशा—निर्देश' के पैरा 2(ख)(i) में संशोधन।

फा. सं. 01 / 94 / 180 / 234 / एएम—20 / पी.सी—4.—समय—समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015—20 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015—2020 के एएनएफ— 4च के तहत आवेदकों हेतु दिशा—निर्देश के पैरा 2(ख) (i) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

2(ख) मान्य निर्यात के लिए

(i) बीजक की एक प्रति अथवा बीजकों का विवरण सामग्री प्राप्त करने वाले यूनिट द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित हो, जिसमें ऐसी आपूर्ति की मद इसकी मात्रा, मूल्य और ऐसी आपूर्ति की तारीख प्रमाणित हो। तथापि, उत्पाद शुल्क न लगाए जाने वाले मदों की आपूर्ति के मामले में अथवा उत्पाद शुल्क न लगाए जाने वाले उत्पाद (उत्पादों) का उत्पादन करने वाले यूनिट को उत्पाद शुल्क योग्य मदों की आपूर्ति करने के मामले में मात्रा, मूल्य और आपूर्ति की तारीख प्रमाणित करते हुए परियोजना प्राधिकारी प्रमाणनपत्र (पीएसी) उत्पाद शुल्क/ जीएसटी प्रमाणन के बदले स्वीकार्य होगा। तथापि, ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी को आपूर्तियों के संबंध में, आपूर्ति की मद, इसकी मात्रा, मूल्य और ऐसी आपूर्ति की तारीख को प्रमाणित करते हुए क्षेत्राधिकार प्राप्त उत्पाद

शुल्क/जीएसटी प्राधिकारी द्वारा विविधवत रूप से हस्ताक्षरित सीटी-3/एआरई-3 की प्रति उपर्युक्तानुसार उत्पाद शुल्क/जीएसटी अभिप्रमाणित बीजक (बीजकों) अथवा बीजकों के विवरण के बदले प्रस्तुत की जा सकती है। तथापि, प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.30 के अनुसार अंतिम निर्यातक (अग्रिम प्राधिकार पत्र अथवा डीएफआईए धारक) द्वारा निर्यात हेतु सीधे पत्तन को मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता द्वारा उत्पाद की आपूर्ति के मामले में, अंतिम निर्यातक और मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता की फाइल सं./प्राधिकार पत्र सं. के साथ उस पर मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता के रूप में पृष्ठांकित घरेलू आपूर्तिकर्ता के नाम के साथ शिपिंग बिल की प्रति प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के एएनएफ-4च के तहत 'आवेदकों हेतु दिशा निर्देश' के पैरा 2(ख) (i) को मान्य निर्यातों के मामले में ईओडीसी का आवेदन करने हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण करने हेतु और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए संशोधित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 7th June, 2022

No. 11/2015-2020

Subject: Amendments in Para 2 (b)(i) of the 'Guidelines For Applicants' under ANF-4F of Handbook of Procedures 2015-2020.

F. No. 01/94/180/234/AM-20/PC-4.—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Para 2 (b)(i) of the Guidelines For Applicants under ANF-4F of Handbook of Procedures 2015-2020:

2(b) For Deemed Exports

(i) A copy of the invoice or a statement of invoices duly signed by the unit receiving the material certifying the item of supply, its quantity, value and date of such supply. However in case of supply of items which are non excisable or supply of excisable items to a unit producing non excisable product(s), a project authority certificate (PAC) certifying quantity, value and date of supply would be acceptable in lieu of excise/GST certification. However, in respect of supplies to EOU/EHTP/ STP/ BTP, a copy of CT-3/ARE-3 duly signed by the jurisdictional excise/GST authorities certifying the item of supply, its quantity, value and date of such supply can be furnished in lieu of the excise/GST attested invoice (s) or statement of invoices as given above. However in case of supply of the product by the Intermediate supplier to the port directly for export by the ultimate exporter (holder of Advance Authorisation or DFIA) in terms of paragraph 4.30 of HBP, copy of the shipping bill with the name of domestic supplier as Intermediate supplier endorsed on it along with the file No. / Authorisation No. of the ultimate exporter and the intermediate supplier shall be required to be furnished.

Effect of this Public Notice: Para 2 (b)(i) of the 'Guidelines For Applicants' under ANF-4F of Handbook of Procedures 2015-2020 has been amended to simplify the procedure and reduce the compliance burden for applying EODC in case of deemed exports.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.